# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3805/2024**

आलोक शर्मा

अनिल शर्मा

अंकित जैन

बिशन सिंह **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग एवं प्रशासनिक, सचिवालय, जयपुर।
2. महामहिम राज्यपाल, सचिव, राज भवन, जयपुर।
3. उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
4. रजनीकांत।
5. सीमा पाल।
6. गुलाब सिंह।
7. राजकुमार पारीक।
8. राजकुमार स्वर्णकार।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 11.12.2024
**आदेश की दिनांक** : 17.12.2024

**अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद, अधिवक्ता**

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रस्तुत अपील में 10.10.2022 को जारी की गई विवादित वरिष्ठता सूची को आदेश दिनांक 21.11.2024 द्वारा जारी विवादित वरिष्ठता सूची और आदेश दिनांक 21.11.2024 द्वारा जारी विवादित वरिष्ठता सूची के साथ चुनौती दी गई है। (अनुलग्नक–1 व 1बी) राज्य सरकार द्वारा आरपीएससी को भेजे गए अधियाचन के परिणामस्वरूप लोअर डिविजन क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 17.05.2011 को विज्ञापन जारी किया गया था। (अनुलग्नक–2) उसके बाद 14.09.2011 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया जिसके तहत पदों की संख्या बढ़ाई गई। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी एल.

डी.सी. के पद के लिए सभी अपेक्षित पात्रता योग्यता रखते हुए समय रहते आवेदन कर दिया और तदनुसार उन्होंने लोअर डिविजन क्लर्क (एल.डी.सी.) के पद पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया और एल.डी.सी. की भर्ती का परिणाम विभिन्न चरणों में जारी किया गया, जिसे शुरू में वर्ष 2012 में घोषित किया गया था जिसके अनुसार उम्मीदवारों को मार्च 2013 में नियुक्त किया गया। उसके बाद, फिर से अंतिम रूप से 21.12.2016 को परिणाम जारी किया गया जिसमें विनम्र अपीलार्थीगण चयनित उम्मीदवार घोषित किए गए। (अनुलग्नक–4) अपीलकर्थीगण को दिनांक 06.04.2017 के आदेश के तहत नियुक्ति दी गई थी और उन्हें राज्यपाल सचिवालय का कैडर आवंटित किया गया था। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थीगण अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और इस प्रकार उनके लिए कोई अपमानजनक बात नहीं है। इसी बीच सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से हटाने के लिए 29.01.2013 को एक आदेश जारी किया गया, यह उस समय से ठीक पहले था जब उम्मीदवारों को 17.05. 2011 के विज्ञापन के अनुसार शुरू की गई भर्ती के माध्यम से एलडीसी के पद पर नियुक्त किए जाने की संभावना थी, इस प्रकार 29.01.2013 के आदेश के आधार पर जल्दबाजी में चपरासी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के पद से एलडीसी के पद पर पदोन्नति की कवायद की गई और 05 उम्मीदवार जो वर्तमान अपील में निजी प्रत्यर्थी हैं, उन्हें 07.02.2013 के आदेश के तहत पदोन्नति दी गई। (अनुलग्नक–6) दिनांक 29.01.2013 के आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से उपर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति की मात्रा मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई थी, पहले यह केवल 15 प्रतिशत कोटा था। दिनांक 29.01.2013 के आदेश के तहत एलडीसी के पद के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नति को 33ः तक बढ़ाया गया था। (अनुलग्नक–7) सीधे भर्ती वाले अपीलार्थीगण, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2013 में हुई थी, ने उपरोक्त प्रक्रिया को चुनौती दी, जब उन्हें वर्ष 2017 में इस मनमानी के बारे में पता चला। इसका कारण यह था कि यूडीसी (उच्च श्रेणी लिपिक) के पद पर आगे की पदोन्नति के लिए फीडिंग चैनल एलडीसी का पद है और इस तथ्य के बावजूद कि क्या कोई उम्मीदवार सीधी भर्ती के माध्यम से पदोन्नति के माध्यम से एलडीसी के कैडर में आया है, एलडीसी का एकीकृत कैडर यूडीसी के पद पर पदोन्नति के लिए फीडिंग चैनल है, इसलिए सीधे भर्ती होने वाले लोग सीधे प्रभावित हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में विष्णु शर्मा एवं अन्य द्वारा रिट याचिका संख्या 15192/2017 दायर कर चुनौती दी गई तथा रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्यपाल सचिवालय ने भी 30.07.2020 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 29.01.2013 के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा उसे निरस्त घोषित कर दिया गया। (अनुलग्नक–8) उस समय जो लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से एलडीसी के पद पर पदोन्नत होने आए थे, यानी कुल 05 उम्मीदवार जो वर्तमान अपील में निजी प्रत्यर्थी हैं, उन्होंने भी आदेश दिनांक 30.07.2020 द्वारा चुनौती दी है। अंततः सीधे भर्ती किए गए एलडीसी द्वारा दायर एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या

15192/2017 और पदोन्नत एल.डी.सी. द्वारा दायर एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 8497/2020 और एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 10057/2020। दिनांक 22.09.2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया और माननीय उच्च न्यायालय ने 29.01.2013 के दिशानिर्देशों को रद्द करने और अलग रखने की कृपा की है, दिनांक 30.07.2020 के आदेश को बरकरार रखा है और पदोन्नत कर्मचारियों की आगे की पदोन्नति को रद्द कर दिया गया और अलग रखा गया और वास्तव में पदोन्नत कर्मचारी रिट याचिका संख्या 8497/2020 और 10057/2020 को उन्हें एलडीसी के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई थी लेकिन यह आदेश दिया गया था कि उन्हें एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 15192/2017 में रिट याचिकाकर्ताओं के नीचे एलडीसी की वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा (अर्थात जो 17.05.2011 के विज्ञापन के अनुसार सीधी भर्ती वाले हैं), आगे यह निर्देश दिया गया था कि वे अपनी वरिष्ठता के अनुसार आगे की पदोन्नति के लिए भी पात्र थे। (अनुलग्नक–9) अपीलार्थीगण को इस पूरी स्थिति के बारे में पता नहीं था, इसलिए तब तक वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई थी, जब तक कि S.B.C.W.P. में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ गया और वर्ष 2017 में उन्हें अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करनी थी। इस प्रकार पदोन्नत एलडीसी को सीधे भर्ती किए गए लोगों के नीचे रखने के संबंध में दिनांक 22.09.2022 के आदेश के पैरा–4 में दिए गए निर्देश को विनम्र अपीलार्थीगण के लिए भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होना आवश्यक है क्योंकि वे भी एसबीसीडब्ल्यूपी 15192/2017 के रिट याचिकाकर्ताओं की तरह दिनांक 17.05.2011 के विज्ञापन के तहत चयनित हुए हैं और वे समान स्थिति वाले उम्मीदवारों की तरह वरिष्ठता के सभी लाभों और सभी सेवा लाभों के हकदार हैं, केवल अंतर यह है कि उनका परिणाम बाद में घोषित किया गया था और उनकी नियुक्ति आदेश बाद में जारी किया गया था, लेकिन उनकी वरिष्ठता उस तारीख से संबंधित होगी जब वर्ष 2011 के अन्य बैच के साथी वरिष्ठता सूची में नियुक्त हुए थे, फिर चयन का वर्ष वर्ष 2012–2013 के रूप में उल्लेख किया जाना है। एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 15192/2017, एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 8497/2020, एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 10057/2020 में निर्णय के बाद ये वरिष्ठता सूची 10.10.2022 को जारी की गई, जिसमें 01.04.2022 की स्थिति में निजी प्रत्यर्थीगण को वरिष्ठता सूची में अपीलार्थीगण से ऊपर रखा गया था। दिनांक 01.04.2022 की वरिष्ठता सूची में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को भी प्रासंगिक नहीं बनाया गया क्योंकि अभ्यर्थी मनीष कुमार टांक की नियुक्ति अक्टूबर 2017 में हुई, हालांकि चयन का वर्ष 2017–2018 लिखा गया है और उसे सीधी भर्ती के योग्य योग्यता के अनुसार वरिष्ठता सूची में रखा गया था और योग्यता के आधार पर उनकी वरिष्ठता का निर्धारण विवाद में नहीं है, वर्तमान अपील में मुद्दा इस तथ्य के बारे में है कि क्या पदोन्नत व्यक्ति, जिन्हें वर्ष 2012–2013 में उनकी पदोन्नति का कोई अधिकार और हक नहीं था और उनकी पदोन्नति का स्रोत पहले ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और साथ ही राज्यपाल

सचिवालय द्वारा दिनांक 29.01.2013 के आदेश को रद्द करके शून्य घोषित किया जा चुका है और आगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2020 के आदेश को बरकरार रखने के साथ उनका पूरा स्रोत समाप्त हो जाता है। दिनांक 29.09.2022 के आदेश के तहत 01.04.2022 को जारी अनंतिम वरिष्ठता सूची में आइटम नंबर 4 से आइटम नंबर 8 पर उनका स्थान अनुचित था। ऐसी परिस्थितियों में विनम्र अपीलार्थीगण ने इस पर आपत्ति प्रस्तुत की। (अनुलग्नक–10) प्रत्यर्थी विभाग ने 18.06.2024 को एक अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की है। (अनुलग्नक–11) अपीलार्थीगण द्वारा 21.06.2024 को प्रस्तुत आपत्तियाँ। (अनुलग्नक–12) प्रत्यर्थीगण ने आपत्तियों पर उचित रूप से विचार नहीं किया और 21.11.2024 के आदेश के अनुसार 01.04.2023 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी। (अनुलग्नक–1ए) दिनांक 01.04.2024 की अंतिम वरिष्ठता सूची भी उसी दिन अर्थात् 21.11.2024 को आदेश संख्या 6599 द्वारा जारी कर दी गई है। (अनुलग्नक–1बी) दिनांक 22.09.2022 के आदेश की शर्त संख्या 4 की सीमा तक जिसके द्वारा पदोन्नत एलडीसी को एलडीसी के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई थी, हालांकि 29.01.2023 के दिशानिर्देशों को रद्द कर दिया गया था और अलग रखा गया था और 30.07.2020 के आदेश को बरकरार रखा गया था, महामहिम राज्यपाल के सचिव द्वारा डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 12/2023 और 13/2023 दायर करके भी चुनौती दी गई थी। वास्तव में 29.01.2023 का आदेश रद्द होने के कारण 07.02.2013 का परिणामी आदेश भी इसके परिणामस्वरूप रद्द होने योग्य था और पद उपलब्ध होने पर समीक्षा डीपीसी आयोजित की जानी थी, जो नहीं की गई है और इसलिए, ऐसे आदेश के आधार पर प्राप्त किसी भी लाभ को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कि शून्य है। विनम्र अपीलकर्ता वे अभ्यर्थी हैं जो उपरोक्त अपील के परिणाम से सीधे प्रभावित होने जा रहे हैं और जब उन्होंने 01.04.2022, 01.04.2023 और 01.04.2024 को जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार अपना अभ्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत की, जब प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि दिनांक 10.10.2022 की आपत्तिजनक वरिष्ठता सूची, जो 01.04.2022 की वरिष्ठता को दर्शाती है (अनुलग्नक–1), दिनांक 21.11.2024 के आदेश संख्या 6598 (अनुलग्नक–1ए) के माध्यम से जारी की गई आपत्तिजनक वरिष्ठता सूची (जो 01.04.2023 की स्थिति को दर्शाती है) और दिनांक 21.11.2024 के आपत्तिजनक आदेश संख्या 6599 (अनुलग्नक–1बी) (जो 01.04.2024 की स्थिति को दर्शाती है) को निजी प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण से ऊपर रखने की सीमा तक अपास्त किया जावे और ऐसे पदोन्नत एलडीसी को अपीलार्थीगण से नीचे रखने के माध्यम से इसे सही करने का आदेश दिया जावे कि वे सीधी भर्ती वाले थे और उन्हें दिनांक 17.05.2011 के विज्ञापन के अनुसार वरिष्ठता दी जानी है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि वे निजी प्रत्यर्थीगण के

संबंध में अपीलार्थीगण की वरिष्ठता स्थिति में सुधार के बाद ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जावे तथा उन्हें वही लाभ प्रदान किए जावे जो दिनांक 17.05.2011 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती किए गए लोगों को दिए गए हैं।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। उन्होंने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग को आदेश की दिनांक से दो सप्ताह की अवधि में अपील के तथ्यों के आधार पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर दो सप्ताह में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अभ्यावेदन निस्तारण किए जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति बैठक आयोजित नहीं की जावे और अभ्यावेदन के निस्तारण की समुचित रूप से सूचना अपीलार्थी को दी जावे।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक ..... के जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

अपीलार्थीगण अथवा उनके विद्वान् अभिभाषक के द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस एवं अपील, मय प्रलेख की प्रति, प्रस्तुत किये जावें। नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थीगण के अभिभाषक को दस्ती दिये जावें। इन निर्देशों की पालना न करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा।

पत्रावली दिनांक .....वास्ते जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**